(36)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1489/पीबीआर/17 विरूद्ध आदेश दिनांक 30.03.2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद, प्रकरण क्रमांक 85/अपील/2015-16.

माखन आ. स्व. श्री भैयालाल किराड
निवासी मुलताई, तहसील मुलताई,
जिला बैतूल, मध्यप्रदेश .....आवेदक

विरूद्ध

1. डोमा आ. श्री लाहन्या
2. नमदेव आ. श्री रामराव
3. दिनोश आ. श्री रामराव
4. गणेश आ. श्री रामराव
5. सुखदेव आ. श्री श्यामराव

सभी निवासीगण टेमझिरा,
तहसील मुलताई, जिला बैतूल, म.प्र. .....अनावेदकगण

श्री प्रेमसिंह, अभिभाषक, आवेदक
श्री अखिलेश तिवारी, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 8/8/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित दिनांक 30.03.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा दिनांक 13.01.1969 को रजिस्टर्ड विक्रयपत्र द्वारा ग्राम टेमझिरा स्थित भूमि खसरा नं. 221 रकबा 1.072 हैक्टेयर वर्तमान खसरा नं. 336 रकबा 1.072 हैक्टेयर भूमि क्रय की थी, जिसका संशोधन पंजी पर संशोधन क्रमांक 173 दिनांक 25.09.1969 को तहसीलदार द्वारा दर्ज कर विक्रय पत्र के आधारपर अनावेदकगण डोमा, श्यामराव, रामराव का नाम दर्ज किया, जिस पर अनावेदकगण आज दिनांक तक काबिज कास्त है। आवेदक द्वारा वसीयतनामा तहसीलदार के समक्ष पेश कर अपना नाम दर्ज किये जाने का निवेदन किया। तहसीलदार द्वारा दिनांक 28.09.1995 को आवेदक का नाम दर्ज करने के आदेश पारित किये। इस आदेश के पालन में संशोधन क्रमांक 9 दिनांक 29.06.2009 को संशोधन दर्ज किया गया। तहसीलदार के उक्त आदेश दिनांक 28.09.1995 एवं संशोधन दिनांक 29.06.2009 के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, मुलताई के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 30.04.2015 को आदेश पारित कर अपील अस्वीकार की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 30.03.2017 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) तहसील न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 28.09.1995 के द्वारा खसरा क्रमांक 219/3 (वर्तमान खसरा क्रमांक 334) एवं खसरा क्रमांक 221/2 (वर्तमान खसरा क्रमांक 336) रकबा 9.99 एकड़ भूमि पर श्रीमती गुलजाबाई का नामांतरण करने के आदेश दिये गये थे। श्रीमती गुलजाबाई के पक्ष में किये गये उक्त नामांतरण आदेश के विरूद्ध किसी भी पक्ष द्वारा वरिष्ठ न्यायालय के समक्ष कोई कार्यवाही नहीं की गई। वर्ष 2008-09 में उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में श्रीमती गुलजाबाई के नाम दर्ज थी। इसलिए अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार ने उक्त भूमि पर पंजीकृत वसीयतनामें के आधार पर आवेदक का नामांतरण करने में कोई त्रुटि नहीं की गई थी, परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त महत्वपूर्ण तथ्य पर विचार किये बिना ही विवादित आदेश पारित किया गया है।

(2) अनावेदकगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध कोई सहायता नहीं चाही गई थी, परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश को बिना किसी उचित आधार के निरस्त करने में त्रुटि की गई है या द्वारा प्रकरण में अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया था।

(3) श्री चुब्बी द्वारा अपने हिस्से की भूमि में से 9.99 एकड़ भूमि के संबंध में अपनी बहु गुलजाबाईके नाम पर अपने जीवनकाल में पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 12.07.34 को निष्पादित किया गया था। इसलिए वसीयत की गई भूमि को किसी को भी विक्रय करने का अधिकार नहीं था। इस संबंध में तहसील न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 28.09.95 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है, परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त महत्वपूर्ण तथ्य पर विचार किये बिना ही विवादित आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है।

(4) विक्रेताओं को अनावेदकगण के पक्ष में प्रश्नाधीन भूमि को विक्रय करने का अधिकार नहीं था, क्योंकि विक्रेताओं को उनके हिस्से की भूमि पृथक् से प्राप्त हो चुकी थी, परंतु उनके द्वारा जानबूझकर उस भूमि को विक्रय किया गया, जिसके संबंध में पूर्व में ही पंजीकृत वसीयतनामा निष्पादित किया गया था, परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त महत्वपूर्ण तथ्य पर विचार किये बिना ही विवादित आदेश पारित करने में त्रुटि की है।

(5) आवेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष वसीयतनामे को पूर्णत: प्रमाणित किया गया था, परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी उचित कारण के तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने में त्रुटि की गई है।

अत: उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। उनके द्वारा निगरानी निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्ष 1995 में तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश एकपक्षीय था । वर्ष 1934 के वसीयतनामे पर वर्ष 1995 में जबकि वसीयतकर्ता का नाम

भी अभिलेख में नहीं रह गया था, तहसील न्यायालय ने एकपक्षीय आदेश पारित करने में त्रुटि की है । अतः अपर आयुक्त द्वारा तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के अवैधानिक आदेश को निरस्त करने में न्यायसंगत एवं उचित कार्यवाही की गई है, इसलिये अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-3-2017 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर